कार्यालय, जिला परिषद सिमडेगा

जिला परिषद सिमडेगा द्वारा निर्मित दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु सूचना

दिनांक 16.12.2016 को जिला परिषद बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्तावों एवं लिये गये निर्णय के आलोक में एतद द्वारा सिमडेगा जिले के सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद सिमडेगा द्वारा निम्नांकित रूप से निर्मित मार्केट कम्प्लेक्स के दुकानों को जिला परिषद सिमडेगा बोर्ड की बैठक में निर्धारित मासिक किराया एवं अग्रधन सुरक्षित जमा रा"ि तथा झारखण्ड सरकार के द्वारा सिमडेगा जिला के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के अधीन बन्दोबस्ती की जानी है –

दुकानों का आवंटन हेतु आरक्षण, सुरक्षित जमा तथा किराया दर

क्र0	प्रखण्ड / स्थान	अनुसूचित जन जाति के लिए आवंटित दुकान सं. (ST)	अनुसूचित जाति के लिए आवंटित दुकान सं. (SC)	अन्य जाति के लिए आवंटित दुकान सं. (Others)	प्रतिमाह न्युनतम किराया दर	अग्रधन सुरक्षित जमा रा"ि
1	2	3	4	5	6	7
1	जलडेगा प्रखण्ड के ओड़गा ग्राम में	2, 4, 6	8	1, 3, 5, 7	1000/-	30000/-
2	कोलेबिरा प्रखण्ड , मुख्यालय अंतर्गत	2, 4, 6	8	1, 3, 5, 7	1000/-	30000/-
3	सिमडेगा प्रखण्ड के कोचेडेगा ग्राम में	2, 4, 6	8	1, 3, 5, 7	1000/-	30000/-
4	पाकरटांड़ प्रखण्ड मुख्यालय अंतर्गत	2, 4, 6	8	1, 3, 5, 7	1000/-	30000/-
5	बांसजोर प्रखण्ड मुख्यालय अंतर्गत	2, 4, 6	8	1, 3, 5, 7	1000/-	30000/-
6	केरसई प्रखण्ड मुख्यालय अंतर्गत	2, 4, 6	8	1, 3, 5, 7	1000/-	30000/-
7	ठेठईटांगर प्रखण्ड मुख्यालय अंतर्गत	2, 4, 6	8	1, 3, 5, 7	1000/-	30000/-
8	कुरडेग प्रखण्ड मुख्यालय अंतर्गत	2, 4, 6	8	1, 3, 5, 7	1000/-	30000/-

शर्त्तें :–

1. उक्त दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु आवेदन प्रपत्र कार्यालय जिला परिषद, सिमडेगा से **दिनांक 27.01.2017 से 08.02.2017 तक 500/– कुल पाँच सौ रुपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट (जो सचिव, जिला परिषद सिमडेगा के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं सिमडेगा में भुगतेय हो)** जमा कर कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के प"चात् आवेदन प्रपत्र किसी भी कीमत पर निर्गत नहीं किया जायगा ।
2. आरक्षित श्रेणी के दुकानों का निर्धारित मासिक किराया दर समान रहेगी।
3. एक आवेदक किसी एक ही दुकान के लिए आवेदन कर सकेंगे।
4. सभी आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न करना होगा कि वे विगत दस वर्षों से सिमडेगा जिला के संबंधित प्रखण्ड के निवासी हैं (निवास प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी) तथा उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
5. आवेदन पत्र को भरकर विभिन्न वांछित प्रमाण–पत्रों एवं सुरक्षित जमा राशि की **आधी राशि (50% राशि) का डिमाण्ड डाफ्ट (जो सचिव, जिला परिषद सिमडेगा के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं सिमडेगा में भुगतेय हो)** संलग्न करते हुए **दिनांक 23.02.2017 से दिनांक 02.03.2017 तक कार्यालय जिला परिषद सिमडेगा में कार्यालय अवधि में** जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र जमा नहीं लिया जायगा। जिन आवेदकों को दुकान आवंटन नहीं हो सकेगा उनका सुरक्षित जमा राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदक से आवेदन पत्र लेकर वापस कर दिया जायगा ।
6. आवेदन पत्र में दुकान का नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकान के लिए अंकित नम्बर के अनुसार ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित दुकान नम्बर के अनुसार ही

दुकान आवंटन पर विचार किया जायगा तथा अंकित दुकान नम्बर के अलावे अन्य नम्बर की दुकान आवंटन पर विचार नहीं किया जायगा।

7. प्रत्येक दुकान के लिए आवेदन पत्र यदि एक से अधिक आवेदकों का प्राप्त होती है, तो दुकान का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायगा। जिसकी तिथि माह मार्च 2017 में निर्धारत जिला परिषद बोर्ड का मासिक बैठक की तिथि होगी। लॉटरी के समय प्रत्येक दुकान के लिए दो–दो आवेदकों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जायगी, जिन्हें बाद में आवश्यकता के अनुसार दुकान आवंटन पर विचार किया जा सकता है।
8. दुकान आवंटन की सूची प्रकाशित होने के एक माह के अंदर आवेदक को एकरारनामा करना होगा तथा एकरारनामा के समय सुरक्षित जमा की शेष राशि भी जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं करने पर दुकान आवंटन आदेश को रद्द कर दिया जायगा ।
9. एकरारनामा की तिथि से निर्धारित किराया शुल्क लागू हो जायगा ।
10. दुकान का निर्धारित किराया **प्रत्येक माह के 25 तारीख तक** जमा करना अनिवार्य होगा तीन माह तक किराया जमा नहीं होने की स्थिति में दुकान का आवंटन रद्द कर दिया जायगा तथा अग्रधन सुरक्षित जमा राशि सामंजित करते हुए शेष राशि वापस किया जायगा। परन्तु ऐसी परिस्थिति में भविष्य में भी इस जिला के अंदर किसी भी दुकान का आवंटन प्राप्त करने हेतु उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दी जायगी ।
11. दुकान में किसी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री की बिक्री नहीं की जायगी अन्यथा दुकान का आवंटन रद्द करते हुए प्रतीक्षा सूची में दर्ज दूसरे आवेदक को दुकान आवंटित कर दिया जायगा। दुकान के स्वरूप को आवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकेगा ।
12. दुकान में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था आवेदक को स्वंय करनी होगी तथा विद्युत विपत्र का भी भुगतान आवेदक को स्वंय ही करना होगा ।
13. जिन आवेदकों को दुकान आवंटित होगा उन्हें स्वंय ही व्यवसाय करनी होगी। अगर पाया जाता है कि आवेदक अपने दुकान को किसी भी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिया है तो ऐसी परिस्थिति में दुकान का आवंटन रद्द करते हुए प्रतीक्षा सूची में दर्ज दुसरे आवेदक को दुकान आवंटित कर दिया जायगा ।
14. प्रत्येक तीन वर्ष में दुकान किराये में 15% राशि की वृद्धि की जायगी, जिसे आवेदक को स्वीकार करना होगा ।
15. संबंधित प्रखण्ड के स्थानीय निवासी ही संबंधित प्रखण्ड के लिए आवेदन करेंगे। दूसरे प्रखण्ड के आवेदक किसी भी परिस्थिति में अन्य प्रखण्ड के लिए आवेदन नहीं करेंगे।
16. समय–समय पर नियम एवं शर्त्तों में बदलाव करने का अधिकार जिला परिषद बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा ।
17. किसी भी प्रकार का वाद–विवाद में जिला परिषद सिमडेगा द्वारा लिये गये निर्णय ही अंतिम व सर्वोपरि माने जायेंगे ।
18. दुकान आवंटित करने अथवा आवंटित दुकान के एकरारनामा को विशेष परिस्थिति में रद्द करने का अधिकार जिला परिषद, सिमडेगा के पास सुरक्षित रहेगा ।

उपरोक्त नियम एवं शर्त्तों के अनुसार सभी वांछित दस्तावेजों के साथ पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र ही मान्य किये जायेंगे। अपूर्ण अथवा वांछित दस्तावेज के साथ जमा नहीं किये जाने पर आवेदन को अमान्य (रद्द) कर दी जाएगी।

ह0/–
जिला अभियंता,
जिला परिषद सिमडेगा

ह0/–
सचिव
जिला परिषद सिमडेगा ।

ज्ञापांक –24(ii)/जि0प0 दिनांक 17.01.2017

प्रतिलिपि :– जिला जनसूचना पदाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आव"यक कार्रवाई हेतू प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना का विज्ञापन स्थानीय अखबारों में प्रका"ात किया जाय।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी सिमडेगा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि अपने कार्यालय के सूचना पट्ट में भी प्रका"ात करना सुनि"चत किया जाय ।

प्रतिलिपि :– DIO, NIC Simdega को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि यह सूचना जिला के बेवससाईट पर अपलोड किया जाय ।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष , जिला परिषद सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, सिमडेगा को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

ह0/–
सचिव,
जिला परिषद, सिमडेगा ।